सत्यमेव जयते

भारत सरकार

निष्पत्ति बजट

2009-10

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ
I	मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य	1-4
II	योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य, परिव्यय, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां आदि	5-9
III	नीतिगत पहल और सुधार के उपाय	10-12
IV	पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा	13-17
V	वित्तीय समीक्षा	18-19
VI	मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	20

अध्याय - I

मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने के सुनिश्चितीकरण और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ से जुड़े नियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वयन, समग्र नीति-नियोजन में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से किया गया था।

मंत्रालय के प्रमुख राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। सचिव की सहायतार्थ एक अपर सचिव–सह–वित्त सलाहकार और तीन संयुक्त सचिव हैं। संयुक्त सचिवगण क्रमशः नीति, नियोजन, समन्वयन और मूल्यांकन, संस्थान, मीडिया और स्थापना एवं वक्फ से जुड़े स्कन्ध के प्रमुख हैं। उनकी सहायतार्थ छः निदेशक/उप सचिव हैं। मंत्रालय में स्वीकृत अधिकारियों/स्टाफ की संख्या 97 है।

मंत्रालय के क्रियाकलाप

क. प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान : मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। सरकार द्वारा प्रतिष्ठान को उपलब्ध करायी गयी संचित निधि (वर्तमान में 310 करोड़ रु.) पर अर्जित ब्याज राशि ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं - स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद और अवसंरचना विकास आदि के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान और अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना।

ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को इक्विटी योगदान : यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के मध्य सावधि ऋण और लघु-ऋण के माध्यम से स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने में लगा है। निगम को अपनी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूंजी उपलब्ध करायी जा रही है।

iii) निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना : इस योजना को संशोधित कर जुलाई, 2007 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अपना ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए क्षमता में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराना तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में

प्रवेश के लिए सहायता करना है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ऐसे संस्थानों में उपचारी कोचिंग भी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना चुनिन्दा कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है।

iv) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्क्रमों के लिए मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति अल्पंसख्यक समुदायों के उन छात्रों को दी जाती है जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

v) प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन से जुड़ी योजना : इस योजना का उद्देश्य 15-सूत्रीय कार्यक्रम सहित अल्पंसख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान/अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा लक्षित वर्ग से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचना के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है।

vi) अल्पंसख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना : मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पंसख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/संस्थानों में कक्षा I से X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों। यह योजना दिनांक 01.04.2008 से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

vii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पंसख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पी.एच.डी. तक की भारत में शिक्षा के लिए तथा XI और XII कक्षा के स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान/औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्र (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध) से प्राप्त करने के लिए मैरिट-सह-साधन के मानदंड को पूरा करते हों।

viii) अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान, जहां मुसलमानों की पर्याप्त आबादी है तथा जो परस्पर पिछड़े है और सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है, वर्ष 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मानदंडों और जनसंख्या के आधार पर, वर्ष 2007 में की गई थी। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधारभूत

सर्वेक्षण द्वारा अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अपर्याप्त विकास और सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा आधारभूत सुविधा की उपलब्धता के मध्य के अंतराल को कम करना है।

बहु–क्षेत्रीय विकाय कार्यक्रम वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। शक्तिप्रदत्त समिति द्वारा 31 मार्च, 2009 तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा उड़ीसा में अल्पसंख्यक बहुल 47 जिलों से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

ix) एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के क्रम में अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपनी कार्य निष्पादन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता-अनुदान दिया जाता है।

योजना के तहत, 90% व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 10% व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2007–08 के दौरान इस योजना के तहत 10 करोड़ रू0 की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2008–09 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई थी।

x) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित की गई। सच्चर समिति की रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह – मुस्लिमों, जिनकी संख्या 13.83 करोड़ है, को विकास पथ से अलग रखा गया है। इस समूह में मुस्लिम महिलाएं दुगुनी पिछड़ी है। विकास का लाभ इन वंचित महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि एक केन्द्र क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जाए। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उन्हे नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके कौशल को विकसित किया जाएगा ताकि उन्हें अपने घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने तथा सेवा, कौशल और अवसर प्राप्ति के संदर्भ में अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया जा सके और वे अपने परिवार की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक क्रियाकलाप कर सकें।

xi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण

इस नई योजना का कार्यान्वयन वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी नवीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसरण में किया जाना है। योजना के तहत केन्द्रीय वक्फ परिषद के माध्यम से राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अपने अभिलेखों के

कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी जो (सीडब्ल्यूसी) इस वित्तीय सहायता को समुचित रूप में लाए जाने के लिए जिम्मेदार होगा और उसकी देखरेख भी करेगा।

xii) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना की शुरूआत के लिए वर्ष 2009–10 के बजट में 15 करोड़ रू0 के आबंटन का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत वे सभी विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त हो तथा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगी तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों में अनुसंधान करने वाले छात्रों को दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान : यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है।

ख - अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम :

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधनमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है **(क)** शिक्षा के अवसर में वृद्धि करना, **(ख)** वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना, **(ग)** अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, **(घ)** साम्प्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दलित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

अध्याय - II

योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य, परिव्यय, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां आदि

वर्ष 2009-10 के लिए 1740 करोड़ रुपए का योजनागत बजटीय प्रावधान है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात (i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान (ii) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (iii) एनएमडीएफसी को इक्विटि योगदान (iv) प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन (v) एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान (vi) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (vii) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और (viii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना के लिए 300 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, अर्थात (i) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (iii) मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति और (iv) अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 1440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए भौतिक लक्ष्य, अनुमानित नतीजे और समय सीमा नीचे की सारणी में दी गई है :—

निष्पत्ति बजट 2009-10

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10			भौतिक लक्ष्य/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर योजनागत बजट	योजनागत बजट	आई.ई. बी.आर.				
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)								

1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	प्रतिष्ठान की वर्तमान योजनाओं के उन्नयन तथा कमजोर वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं शुरु करना	-	115.00	-	15000 छात्रवृत्तियां तथा 200 शैक्षिक संस्थानों को सहायता।	महिला साक्षरता दर और शैक्षिक अवसंरचना में सुधार	वर्ष 2009-10 के दौरान	-
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता	-	12.00	-	5000 छात्रों को वित्तीय सहायता	5000 छात्रों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने हेतु कोचिंग दी जाएगी	वर्ष 2009-10 के दौरान	-
3	प्रचार सहित विकास कार्यक्रमों के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुसंधान, अध्ययन और निगरानी से जुड़े क्रियाकलाप	-	13.00	-	समाचार–पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किया जाना। योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/प्रभाव अध्ययन कराना।	योजनाओं के बारे में लक्षित वर्ग और आम जनता में जागरूकता सृजन तथा अनुसंधान/ प्रभाव अध्ययन और समवर्ती निगरानी कार्य किया जाना।	वर्ष 2009-10 के दौरान	-

4	एनएमडीएफसी की इक्विटी के लिए योगदान	स्वरोजगार और अन्य उद्यमों के लिए रियायती ऋण	-	125.00	-	इक्विटी योगदान के रूप में 125 करोड़ रूपए	एनएमडीएफसी का वर्ष 2009-10 के दौरान 66 हजार लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है	इक्विटी वर्ष 2009-10 के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी	
5	एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए ताकि एजेंसियां ऋण देने का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें	-	2.00	-	मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण लेन-देन कार्य में सुधार होने की संभावना है	वर्ष 2009–10 के दौरान	-
6.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अध्येतावृत्ति हेतु सहायता प्रदान करने के लिए।	-	15.00	-	750 अध्येतावृत्तियां	इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शैक्षिक निष्पादन और अनुसंधान संबंधी योग्यता में सुधार आयेगा।	योजना स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2009–10 के दौरान	एक नई योजना जिसे तैयार किया जा रहा है।
7.	वक्फ परिसंपत्तियों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अपने अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता	-	10.00	-	29 वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना है।	29 वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना है।	योजना स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2009–10 के दौरान	यह एक नई योजना है जिसे तैयार किया जा रहा है।

8.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	योजना तैयारी की प्रक्रिया में है। इस योजना के माध्यम से यह परिकल्पना की गई है कि महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके कौशल को विकसित किया जाएगा ताकि सेवा, कौशल और अवसर प्राप्ति के संदर्भ में अग्रणी भूमिका अदा कर सके और अपने परिवार की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक क्रियाकलाप कर सके।	-	8.00	-	मात्रा का निर्धारण अभी किया जाना है।	मात्रा का निर्धारण अभी किया जाना है।	योजना स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2009–10 के दौरान	यह एक नई योजना है जिसे तैयार किया जा रहा है।
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)								
9.	स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए सक्षम बनाना।	-	100.00	-	42000 छात्रवृत्तियां	स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए 42000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी	वर्ष 2009-10 के दौरान	-

10	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने, स्कूल शिक्षा में सहायता के लिए माता-पिता के वित्तीय बोझ को कम करने तथा छात्रों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करने के लिए सक्षम बनाना।	-	200.00	-	22 लाख छात्रवृत्तियां	कक्षा 10 तक के स्कूल जाने वाले 22 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर में गिरावट आएगी। सफलता दर और निष्पादन में सुधार होगा।	वर्ष 2009-10 के दौरान	-
11	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	भारत में 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक की उच्चतर शिक्षा तथा आईटीआई/ आईटीसी में 11वीं और 12वीं स्तर की तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए	-	150.00	-	7 लाख छात्रवृत्तियां	11वीं से पीएचडी तक के 7 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर में गिरावट आएगी। सफलता दर और निष्पादन में सुधार होगा।	वर्ष 2009-10 के दौरान	-
12	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	अल्पसंख्यक बहुल 90 अभिनिर्धारित जिलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मध्य के विकास अंतराल को कम करने के लिए	-	990.00	-	स्वीकृत परियोजनाओं से इन जिलों में अपर्याप्त विकास की समस्या का समाधान होगा तथा सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानकों में सुधार होगा।	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में धीमी विकास की समस्या का समाधान होगा	वर्ष 2009-10 के दौरान	-
	योग		-	**1740.00**	-				

अध्याय - III

नीतिगत पहल और सुधार के उपाय

नीतिगत पहल

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार 5 समुदायों को अर्थात मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े लाभों, विशेषकर शिक्षा, रोजगार अवसर और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विकासात्मक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने की दिशा में नीतिगत पहल की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

(i) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम : इस कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं **(क)** शिक्षा के अवसर में वृद्धि करना, **(ख)** वर्तमान और नई योजनाओं के माध्यम से तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि कर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, **(ग)** अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, **(घ)** सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दलित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम में की गई परिकल्पना के अनुसार उन योजनाओं के संदर्भ में 15 प्रतिशत भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय परिव्ययों का निर्धारण कर दिया गया है जिन–जिन योजनाओं में निर्धारण संभव था।

(ii) शिक्षा : इस मंत्रालय ने शिक्षा के सुधार पर बल दिया है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि और नई योजनाएं शुरु करने के उपाय किए हैं। ये उपाय है - **(i)** अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां (क) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और (ग) मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति। इन योजनाओं के उद्देश्य और अनुमानित निष्कर्ष अध्याय-II में दिए गए हैं। **(ii)**

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान : (क) छात्रावासों तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण और विस्तार के लिए सहायता से जुड़ी योजना (ख) छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियां।

(iii) रोजगार के अवसर :

(क) राष्ट्रीय अल्पंसख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से इसकी पुनर्संरचना की अनुसंशा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने एनएमडीएफसी की परिकल्पित पुनर्संरचना को सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विवरण तैयार किए जाने है जिसके लिए परामर्शक की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार की इक्विटी भागीदारी में एनएमडीएफसी के संचलन क्षेत्र में विस्तार के लिए वृद्धि की जा रही है ताकि लक्षित वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को सहायता दी जा सके।

(ख) कोचिंग और संबद्ध योजना *:* इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

(iv) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक बहुल जिले *:* अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी और पिछड़ेपन का स्तर राष्ट्रीय औसत से नीचे रहने को आधार मानकर वर्ष 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मानकों तथा जनसंख्या संबंधी आकड़े के आधार पर वर्ष 2007 में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की गई थी।

इन जिलों में "'धीमी विकास" के कारणों के समाधान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया है। इन जिलों में अपर्याप्त विकास की समस्या के समाधान के लिए एक बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा उसे स्वीकृति मिलने के बाद वर्ष 2008–09 से कार्यान्वित कर दिया गया है।

सुधार कार्य/सुधार के उपाय

वर्तमान योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) राष्ट्रीय अल्पंसख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) :

i) एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एनएमडीएफसी और भारत सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

ii) राज्य चैनलाइजिंग एजेसिंयों को सुदृढ़ करने तथा एनएमडीएफसी के मद में दिए जाने वाले योगदान को जारी करने के लिए राज्य सरकारों से निरंतर आग्रह किया जाता रहता है।

iii) एनएमडीएफसी द्वारा सामना की जा रही अधिकांश समस्याओं की जड़ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों का दयनीय कार्यनिष्पादन और कमजोर संरचना होने के कारण इन एजेंसियों को सुदृढ़ करने की एक योजना शुरु की गई है।

iv) एनएमडीएफसी को यदि लक्षित वर्ग से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है तो इसकी संरचना में पूर्णतः बदलाव लाना होगा और उसे नया स्वरूप प्रदान करना होगा। इसी उद्देश्य से बैंकरों और वित्त विशेषज्ञों की एक समिति ने एनएमडीएफसी की कार्यप्रणाली की जांच की तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के आमेलन द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए निगम की पुनर्संरचना की अनुशंसाएं प्रस्तुत की। सरकार ने एनएमडीएफसी को धारा–25 के तहत की कंपनी से एक गैर–जमाकर्ता – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में परिवर्तित कर एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना हेतु सिद्धांततः अनुमति प्रदान कर दी है। यह कंपनी अल्पसंख्यक भागीदारी (एमपी) और राष्ट्रीय वक्फ विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) दोनों के लिए हॉल्डिंग कंपनी होगी। ये दोनों भी एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होंगे। संचलन की पद्धति की तैयारी का कार्य चल रहा है।

v) एनएमडीएफसी योजनाओं का लाभार्थियों पर प्रभाव के आकलन के लिए तथा लाभार्थी आत्मनिर्भर हुए हैं या नही यह जानने के लिए कृषि वित्त निगम द्वारा एक प्राक्कलन अध्ययन कराया गया है। कृषि वित्त निगम द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं की जांच कर ली गई है और यह पाया गया है कि रिपोर्ट में माइक्रो ऋण वित्त पोषण से जुड़ी कमियों और प्रभाव की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि नमूना आकार बहुत छोटा था। कृषि वित्त निगम से एनएमडीएफसी की माइक्रों ऋण वित्त पोषण के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) :

i) प्रतिष्ठान की संचित निधि में अच्छी खासी वृद्धि तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान और वृद्धि संभावित होने के कारण प्रतिष्ठान की अवसंरचना को समुचित ढंग से सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। तदनुसार ही वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को प्रतिष्ठान का प्रतिनियुक्ति पर सचिव नियुक्त किया गया है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को निजी स्रोत से योगदान की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है।

ii) प्रतिष्ठान की योजनाओं के प्रभाव के आंकलन के लिए ऑर्गनाइजेशन रिसर्च ग्रुप को मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली में सुधार के समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

अध्याय - IV

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जनवरी, 2006 में अस्तित्व में आया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहले तीन योजनागत स्कीमों अर्थात एनएमडीएफसी इक्विटी के मद में योगदान, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में योगदान तथा निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना से संबंधित कार्य किया जाता था जो अब नवगठित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है। **वर्ष 2006-07 से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं :-**

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	2006-07	100.00	100.00 (प्रतिष्ठान की संचित निधि के मद में सरकार द्वारा निर्गत) (100%)	कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। संचित निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग पात्र गैर-सरकारी संगठनों/आवेदकों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने तथा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता है। 7.55 करोड़ रुपए का संवितरण तथा 52 गैर सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों को अनुदान स्वीकृत किए गए हैं।	
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	2006-07	18.29	18.29 (100%)	सरकार द्वारा किए गए समझौते के तहत एनएमडीएफसी के वित्तीय/ भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य/उपलब्धि इस प्रकार हैं - **वित्तीय :** (करोड़ रुपए में) लक्ष्यः 100.00 उपलब्धि : 112.75 **भौतिक :** (लाभार्थियों की संख्या) लक्ष्यः 40,000 उपलब्धि : 47,783	
3.	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना	2006-07	1.60	0.41	5 संस्थानों माध्यम से 690 अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई।*	
4.	प्रचार सहित विकास कार्यक्रमों के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2006–07	1.00	0.79	सामाजिक आमेलन विषय पर मल्टी मीडिया अभियान चलाए गए थे।	

*अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के गठन के बाद मंत्रालय द्वारा विशेषकर अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों – अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए संयुक्त कोचिंग योजना कार्यान्वित की गई थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त 5 कोचिंग संस्थानों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के 690 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई थी। प्रस्तावों का आमंत्रण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए जाने के कारण केवल उन्हीं संस्थानों को धन दिया जा सका जिनसे संबंधित प्रस्ताव उक्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुए थे और जिन्हे पूर्ण पाया गया था।

वर्ष 2007-08 का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान	2007-08	50.00	50.00	कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। संचित निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग पात्र गैर-सरकारी संगठनों/आवेदकों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने तथा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता है। 51 गैर–सरकारी संगठनों को 6.60 करोड़ रू0 संवितरित किए गए तथा 4011 छात्राओं को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।	
2.	राष्ट्रीय अल्पंसख्यक विकास और वित्त निगम की इक्विटी में योगदान	2007-08	70.00	70.00	47733 लाभार्थियों को 144.12 करोड़ रू0 संवितरित किए गए।	
3.	एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान	2007-08	10.00	10.00	27 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया गया।	
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	2007-08	10.00	5.74	4000 छात्रों के लक्ष्य की तुलना में 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 59 संस्थानों के माध्यम से 4097 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई।	

5.	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2007-08	6.00 (संशोधित कर 11.59 किया गया)	10.48	सच्चर समिति की अनुशंसाओं, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से संबंधित विज्ञापन पूरे देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू तथा अन्य स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित कराए गए। 9 जिलों के संदर्भ में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुई।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	2007-08	54.00	40.80	योजना को 21 जून, 2007 को स्वीकृति मिली थी। 17258 छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2007-08	80.00	-	इस योजना को 30 जनवरी, 2008 को स्वीकृति मिली थी तथा 2008-09 में ही कार्यान्वित की गई।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2007-08	100.00	9.63	इस योजना को 29 नवम्बर, 2007 को शुरू किया गया। 24816 छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पंसख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2007-08	120.00	-	योजना को 1 अप्रैल, 2008 को शुरू किया गया।

वर्ष 2008-09 का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता– अनुदान	2008–09	60.00	60.00	कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। संचित निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग पात्र गैर-सरकारी संगठनों/आवेदकों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने तथा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए	

					किया जाता है। 156 गैर–सरकारी संगठनों को 12.10 करोड़ रू0 संवितरित किए गए तथा 12064 छात्राओं को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की इक्विटी में योगदान	2008–09	75.00	75.00	वित्तिय वर्ष 2008–09 में 31 मार्च, 2009 तक गैर–सरकारी संगठनों /राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 51198 लाभार्थियों के लिए 130.73 करोड़ रू0 का माइक्रो ऋण/वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2008–09	2.30	00.00	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण धनराशि जारी नहीं की गई।
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2008–09	8.75	7.44	4000 छात्रों के लक्ष्य की तुलना में 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 71 संस्थानों के माध्यम से 5522 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई।
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2008–09	8.95	8.23	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम, मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक –पूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित विज्ञापन पूरे देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू तथा अन्य स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए गए। सामाजिक आमेलन के संबंध में मल्टीमीडिया अभियान भी चलाए गए। 80 जिलों के संदर्भ में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुई।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-	2008-09	64.94	63.93	26195 छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।

	साधन छात्रवृत्ति				
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2008-09	79.90	62.21	5.13 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2008-09	69.93	70.63	1.51 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पंसख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2008-09	279.89	270.85	योजना कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में अल्पसंख्यक बहुल 47 जिलों से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत मदों में शामिल हैं – इंदिरा आवास योजना के मकान, आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षाएं, स्कूल भवन, छात्रों के लिए छात्रावास आदि। वर्ष 2009–10 से कार्यान्वयन कार्य के गति पकड़ने की आशा है।
10.	सचिवालय	2008-09	0.34	0.34	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रोद्योगिकी की व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए किया गया।

अध्याय - V
वित्तीय समीक्षा

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के जनवरी 2006 में ही अस्तित्व में आने के कारण इससे संबंधित व्यय के बजट आंकलन/संशोधित आंकलन के ट्रेंड विश्लेषण के लिए अवधि इतनी कम है कि कोई सार्थक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश योजनाएं वर्ष 2007-08 में ही स्वीकृत हुई हैं। तथापि, वर्ष 2006-07 और 2007-08 और वर्ष 2008–09 के वित्तीय विश्लेषण इस प्रकार हैं :

वर्ष 2006-07

(करोड़ रूपए में)

	बजट आकलन 2006-07	*संशोधित आकलन 2006-07	वास्तविक व्यय	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	0.98	130.89	119.50	91.29
राजस्व	0.98	112.60	101.21	89.88
पूंजीगत	0	18.29	18.29	100
गैर-योजनागत में से	9.49	12.63	12.53	99.20
राजस्व	9.49	12.63	12.53	99.20
पूंजीगत	0			
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	10.47	143.52	132.03	91.99
राजस्व	10.47	125.23	113.74	90.82
पूंजीगत	0	18.29	18.29	100

*अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन जनवरी, 2006 में सेक्रेट्रिएट सोशल सर्विस नामक शीर्ष (गैर–योजनागत) के तहत 2.00 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ किया गया था। बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजटीय आकलन में प्रावधानकृत 19.89 करोड़ रुपए (योजनागत) और 7.49 करोड़ रुपए (गैर-योजनागत) को पूरक अनुदान के माध्यम से तकनीकी रूप से स्थानान्तरित कर दिया गया था। 111 करोड़ रुपए (योजनागत) और 3.14 करोड़ रुपए (गैर-योजनागत) की अतिरिक्त राशि भी पूरक अनुदान के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी थी।

वर्ष 2007-08

(करोड़ रुपए में)

	बजट आकलन 2007-08	संशोधित आकलन 2007–08	वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	500.00	350.00	196.65	39.33	56.19
राजस्व	430.00	280.00	126.65	29.45	45.23
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
राजस्व	12.83	12.83	11.73	91.43	91.43
पूंजीगत	-		-		
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	512.83	362.83	208.38	40.63	57.43
राजस्व	442.83	292.83	138.38	31.24	47.26
पूंजीगत	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00

वर्ष 2008-09

(करोड़ रुपए में)

	बजट आकलन 2008-09	संशोधित आकलन 2008–09	वास्तविक व्यय	बजट आकलन के व्यय का %	संशोधित आकलन के व्यय का %
योजनागत में से	1000.00	650.00	618.62	61.86	95.17
राजस्व	925.00	575.00	543.62	58.77	94.54
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00
गैर-योजनागत में से	13.83	14.38	11.21	81.06	77.96
राजस्व	13.83	14.38	11.21	81.06	77.96
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	1013.83	664.38	629.83	62.12	94.80
राजस्व	938.83	589.38	554.83	59.10	94.14
पूंजीगत	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00

अध्याय - VI

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। इसलिए उनकी योजनाएं मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित नहीं की जाती हैं। इन संगठनों की जवाबदेहता निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है :

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) :

एनएमडीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा–25 के तहत एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार से जुड़े क्रियाकलाप से जुड़े रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती है जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से दोगुना नीचे है। एनएमडीएफसी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वित्तीय और भौतिक दोनों लक्ष्य निर्धारित हैं। उपलब्धियों में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(2) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान :

इस प्रतिष्ठान की स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकरण एक स्वैच्छिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी के रूप में हुई थी। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं - स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, उपकरणों की खरीद और अवसंरचना विकास आदि के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान और अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना। प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली की निगरानी की दिशा में किए गए उपायों में शामिल है :–

i) आवधिक समीक्षा की जा रही है।

(ii) बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के एक अधिकारी को प्रतिष्ठान के सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है।

(iii) प्रतिष्ठान की योजनाओं के प्रभाव के आकलन के लिए ऑर्गनाइजेशन रिसर्च ग्रुप को मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए जा रहे है।